UPAL010139992016

न्यायालय Addl. Distt. and Sess. Judge (POCSO) Court No. 01, Aligarh

पीठासीन अधिकारी- (राजीव शुक्ल), (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code - UP01655

सत्र परीक्षण संख्या :– 100/2016

राज्य

बनाम

1. बाल अपचारी, पुत्र श्री................निवासी पुरैना थाना इटवा जिला सिद्वार्थ नगर।

मुकदमा अपराध संख्या :– 208/2016

धारा– 147, 148, 149, 458, 436, 427, 336 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम,

थाना–सिविल लाईन, जिला– अलीगढ़।

निर्णय

प्रस्तुत **सत्र परीक्षण वाद संख्या 100/2016** राज्य बनाम बाल अपचारी, थाना–सिविल लाईन जिला अलीगढ़ की पुलिस द्वारा मु0अ0सं0– 208/2016 में बाद विवेचना बाल अपचारी के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 208/2016 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 458, 436, 427, 336 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, के अन्तर्गत प्रेषित किये जाने के उपरान्त विचारण किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मुकदमा वादी ने थाना सिविल लाईन, थाना प्रभारी, जिला अलीगढ़ को प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया कि दिनांक 23/24–04–16 की मध्य रात्रि लगभग डेढ़ बजे श्री अब्दुल अजीज गैस्ट हाउस नम्बर 02 के कर्मचारी ने देखा कि एक बड़ा लड़को का समूह गैस्ट हाउस में स्टाफ क्लब की ओर से प्रवेश किया और लम्बे समय तक उसमें शोर शराबे और गोलियों के चलने की आवाज को सुनकर तुरन्त ही गैस्ट हाउस के दरवाजे को सुरक्षा की दृष्टि से अन्दर से बंद कर लिया, लड़को के समूह ने बहुत हद तक तोड़फोड़ कर गैस्ट हाउस नम्बर 02 से बाहर चले गये, तदोउपरान्त बाहर आकर जो नुकसान देखा वो निम्न प्रकार है–गैस्ट हाउस नम्बर 02 के बाहर रखे हुये गमले, दरवाजा व खिड़कियों के शीशे तथा गैस्ट हाउस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, एक स्विफ्ट डिजायर कार आर0जे0 23 सीबी0 0579 जो श्री अशफाक निवासी सीकर राजस्थान जो कमरा नम्बर 6 में ठहरे हुये थे, उसको पूर्ण रूप से जला दिया, एक और स्विफ्ट

डिजायर कार यू0पी0–27 जेड–5529 हो श्री शकील अहमद खॉ जो कमरा नम्बर 5 में ठहरे हुये है, से सम्बंधित है, उसमें भी आगजनी की ओर उसकी बुरी तरह से क्षति पहुॅचाई, एक इनोवा कार यू0पी0–78 डी0बी0–91111 जो श्री विकार अहमद अंसारी जज निवासी फतेहपुर की है उसमें भी बुरी तरह से तोड़फोड़ की। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जायें।'' उक्त के आधार पर सम्बंधित थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।

3. बाद विवचेना विवेचक द्वारा मामलें में विवेचना प्रारम्भ कर नकल चिक व नकल रपट का इन्द्राज केस डायरी में कर सम्बन्धित चिक लेखक व मुकदमा वादी का बयान अंकित किया गया एवं वादी की निशान देही पर नक्शा नजरी घटनास्थल बनाया। गवाहान के बयान लेखबद्ध कर विवेचना सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करते हुए बाद विवेचना आरोप पत्र **सत्र परीक्षण वाद संख्या 100/2016** राज्य बनाम बाल अपचारी में बाल अपचारी के अन्तर्गत प्रेषित किया गया।

4. **सत्र परीक्षण संख्या 100/2016, राज्य बनाम बाल अपचारी** में न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28–07–2016 से घटना का प्रसंज्ञान लिया गया। उसके उपरान्त प्रश्नगत मामले को विशेष सत्र वाद–100/2016 के रूप में पंजीकृत किया गया। न्यायालय के आदेश दिनांक 28–09–2018 द्वारा बाल अपचारी के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 458, 436, 427, 336 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत अपराध के विचारण हेतु आरोप विरचित किये गये, जिसे मानने से बाल अपचारी ने इंकार किया व विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में निम्नलिखित मौखिक साक्षीगण को परीक्षित कराते हुए निम्न अभिलेख व साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :–

क्र.सं.	साक्षी का नाम	दस्तावेजीय साक्ष्य	प्रदर्श क
1	पी0डब्लू0–01 आबिद अली खॉ, वादी मुकदमा	तहरीर रिपोर्ट	क–1
2	पी0डब्लू0–02 मौहम्मद साहिल सज्जाद	––––––	––––
3	पी0डब्लू0–03 समसुद्दीन	––––––	––––

बाल अपचारी की ओर से पुलिस प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार कर ली गयी है।

6. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले में कुल 03 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसके पश्चात अभियोजन का साक्ष्य समाप्त करते हुए, प्रस्तुत मामले में बाल अपचारी के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 न्यायालय के आदेश दिनांकित 06–12–2024 द्वारा अभिलिखित किये गये हैं, जिसमें बाल अपचारी द्वारा कथन किया गया है कि गलत घटना है, जिस पर गलत प्राथमिकी दर्ज हुइ है, गलत आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है, पी0डब्लू0–01 ने गलतफहमी मुकदमा दर्ज कराया है, पी0डब्लू0–02 व पी0डब्लू0–03 के सन्दर्भ में कुछ नहीं कहा है। अभियोजन प्रपत्रों की मात्र औपचारिक सत्यता स्वीकार

की गयी है। मुकदमा गलतफहमी में चला। बचाव में साक्ष्य न देने का कथन किया है और अपने को निर्दोष बताया है।

7. विद्वान विशेष लोक अभियोजक व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया।

8. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से बाल अपचारी के विरूद्ध विरचित आरोपों को संदेह से परे सिद्ध किया गया है। बाल अपचारी द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर कोई नाजायज मजमा तैयार किया एवं सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु बल्वा कारित किया तथा बाल अपचारी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर नाजायज मजमा तैयार किया तथा अन्य साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर सामान्य आशय को अग्रसर करते हुये प्रॉक्टर कार्यालय ए0एम0यू0 अलीगढ़, को नष्ट करने के आशय से प्रॉक्टर कार्यालय ए0एम0यू0 अलीगढ़, में नुकसान आदि कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश किया तथा अपने अन्य साथियों के साथ एक राय होकर होकर सामान्य आशय को अग्रसर करते हुये प्रॉक्टर कार्यालय ए0एम0यू0 अलीगढ़ में उक्त कार्यालय को नष्ट करने के आशय से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जिससे उसमें रखी सरकारी सम्पत्ति जलकर राख हो गयी। बाल अपचारी की मामले में संलिप्तता साबित है। अतः बाल अपचारी दोषसिद्व होने योग्य है।

9. बाल अपचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि बाल अपचारी निर्दोष हैं। उसे झूंठा फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से बाल अपचारी के विरूद्ध विरचित आरोपों को संदेह से परे सिद्ध नहीं किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि किसी भी अभियोजन साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से स्वतंत्र साक्षियों को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः बाल अपचारी दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

10. प्रस्तुत मामलें में विनिश्चय बिन्दुओं पर निष्कर्ष देने से पूर्व प्रकरण व उसके सन्दर्भ में अग्रसारित साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

11. प्रस्तुत मामले में मुकदमा वादी द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 में यह कथन किया गया है कि दिनांक 23/24–04–16 की मध्य रात्रि लगभग डेढ़ बजे श्री अब्दुल अजीज गैस्ट हाउस नम्बर 02 के कर्मचारी ने देखा कि एक बड़ा लड़को का समूह गैस्ट हाउस में स्टाफ क्लब की ओर से प्रवेश किया और लम्बे समय तक उसमें शोर शराबे और गोलियों के चलने की आवाज को सुनकर तुरन्त ही गैस्ट हाउस के दरवाजे को सुरक्षा की दृष्टि से अन्दर से बंद कर लिया, लड़को के समूह ने बहुत हद तक तोड़फोड़ कर गैस्ट हाउस नम्बर 02 से बाहर चले गये, तदोउपरान्त बाहर आकर जो नुकसान देखा वो निम्न प्रकार है–गैस्ट हाउस नम्बर 02 के बाहर रखे हुये गमले, दरवाजा व खिड़कियों के

शीशे तथा गैस्ट हाउस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, एक स्विफ्ट डिजायर कार आर0जे0 23 सीबी0 0579 जो श्री अशफाक निवासी सीकर राजस्थान जो कमरा नम्बर 6 में ठहरे हुये थे, उसको पूर्ण रूप से जला दिया, एक और स्विफ्ट डिजायर कार यू0पी0–27 जेड–5529 हो श्री शकील अहमद खॉ जो कमरा नम्बर 5 में ठहरे हुये है, से सम्बंधित है, उसमें भी आगजनी की ओर उसकी बुरी तरह से क्षति पहुॅचाई, एक इनोवा कार यू0पी0–78 डी0बी0–91111 जो श्री विकार अहमद अंसारी जज निवासी फतेहपुर की है उसमें भी बुरी तरह से तोड़फोड़ की। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जायें।'' उक्त के आधार पर सम्बंधित थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसी तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाना पर दिनांक 24–04–2016 को अभियोग अन्तर्गत धारा 435, 427 भा0दं0सं0 में पंजीकृत किया गया है, जो अभिलेख पर है। अभियुक्तगण के विरूद्व तद्नुसार विरचित आरोप सिद्व हुये अथवा नहीं, के सन्दर्भ में निष्कर्ष निकाले जाने से पूर्व परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन आवश्यक है।

11क. अभियोजन साक्षी संख्या–1 आबिद अली खॉ, वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 23–04–16 को मैं ए0एम0यू0 गैस्ट हाउस का कार्यवाहक इंचार्ज था, क्योंकि मुख्य इंचार्ज छुट्टी पर थे। दिनांक 23/24–04–16 की रात्रि डेढ़ बज एक लड़के का समूह गैस्ट हाउस में प्रवेश किया, तोड़फोड़ की, गोलियॉ चलाई वहॉ पर मौजूद कर्मचारी अब्दुल अजीज ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया तो गमले व खिड़कियों के शीशे तोड़ दिये व वहॉ खड़ी कारों में तोड़फोड़ कर जला दिये। यह सारी बातें मुझे अब्दुल अजीज ने फोन पर सुबह बताई। मैं तुरन्त मौके पर पहुॅचा व तुरन्त घटना की रिपोर्ट प्रॉक्टर ऑफिस के माध्यम से सुबह थाना सिविल लाईन में की थी। दिनांक 24–04–16 को बुलाई थी। साक्षी को कागज संख्या 4अ/3 को देखकर कहा वही तहरीर की प्रमाणित कॉपी है, जिसको थाना पर दी थी, मूल प्रति सत्र परीक्षण संख्या 756/16 में लगी है जिस पर प्रदर्श क–1 दिनांक 26–02–2019 को डाला जा चुका है। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, शिनाख्त करता हूॅ, दरोगाजी ने मेरे बयान लिये थे। मैनें घटनास्थल भी दिखाया था। घटना में जो गाड़ियॉ तीन जली थी व शीशे व गमले तोड़े थे, उनकी फोटोग्राफ कराये गये थे, जिनकी फोटोग्राफ प्रति कागज संख्या 11क लगायत 11क/7 की छायाप्रति पत्रावली पर मौजूद है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि हाजिर अदालत बाल अपचारी के बारे में प्रश्न पूछा गया तो साक्षी ने बताया कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था इसलिये सम्बंध में कुछ नहीं बता सकता। मैनें विवेचक को बयान दिया था, उन्हें भी यही बताया था कि मैं घटनाके समय नहीं था इसलिये घटन में शामिल लोगों के बारे में कुछ नहीं बता सकता। घटना के समय मैं अपने घर में मौजूद था। घटना का नक्शा नजरी मेरे साथ जाकर नही बनवाया गया था।

इस प्रकार इस साक्षी के बयान से दर्शित है कि मात्र इसने प्राथमिकी दर्ज करायी है, घटना होते इसने नहीं देखा है। बाल अपचारी का नाम उसने दरोगाजी को नहीं बताया और ना ही मौके पर ले जाकर नक्शा नजरी बनवाया। इस साक्षी के बयान से बाल अपचारी के विरूद्व कुछ भी साबित नहीं है।

11ख **अभियोजन साक्षी संख्या–02 मौहम्मद साहिल सज्जाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि** घटना का दिनांक मुझे पता नहीं है। मैं ए0एम0यू0 के गैस्ट हाउस नम्बर 01 पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत हूॅ। मेरी कभी भी आज तक गैस्ट हाउस नम्बर 02 पर ड्यूटी नहीं लगी है। आज भी मैं गैस्ट हाउस नम्बर 01 पर कार्यरत हूॅ। मैनें सुना था कि गैस्ट हाउस नम्बर 02 पर कोई घटना रात में घटित हुई है। रात्रि में मैं अपेन घर पर सो रहा था, क्योंकि मेरी ड्यूटी दिन की थी। घटना के सम्बंध में मुझसे किसी भी पुलिस वाले ने आज तक पूछताछ नहीं की है और न ही किसी दरोगा आदि ने मेरा बयान लिया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया एवं पक्षद्रोही हो गया है।

अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि ए0एम0यू0 में रात में कुछ घटना घटित हुई थी। यह कहना गलत है कि मैं घटना के समय मौके पर मौजूद हूॅ। मैनें पुलिस को कोई ब्यान नहीं दिया था। यह बात सही है कि साक्ष्य के लिये मुझे न्यायालय का सम्मन प्राप्त हुआ था। मै ंनामित व्यक्ति अपचारी को व्यक्तिगत नहीं जानता हूॅ। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूॅठी गवाही दे रहा हूॅ। गवाह को धारा 161 द0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मेरा ऐसा कोई नहीं हुआ है, पुलिस ने कैसे लिख लिया मैं वजह नहीं बता सकता।

इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया एवं पक्षद्रोही हो गया है। इस साक्षी के बयान से बाल अपचारी के विरूद्व कुछ भी साबित नहीं है।

11ग अभियोजन साक्षी संख्या–03 समसुद्दीन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं ए0एम0यू0 गैस्ट हाउस नम्बर 02 पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूॅ। इस समय मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे से 5 बजे शाम तक गैस्ट हाउस नम्बर 02 पर रहती है। घटना का दिनांक व दिनांक मुझे मालूम नहीं है। घटना के अगले दिन मालूम हुआ था कि ए0एम0यू0 के गैस्ट हाउस नम्बर 02 पर कोई घटना रात्रि में घटित हुई हो, जिस समय घटना घटित हुई उस समय मैं अपने घर पर सो रहा था। पुलिस वालों ने आज तक मेरा कोई बयान नहीं लिया है और न ही मुझसे कोई पूछताछ की है। पुलिस वालों ने सादा कागज पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे। पुलिस वालों ने मेरे सामने कोई लिखा पढ़ी नहीं की है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया एवं पक्षद्रोही हो गया है।

अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि ए0एम0यू0 में प्रॉक्टर आफि में रात्रि के समय आगजनी की घटना घटित हुई है। यह कहना सही है कि मेरी ड्यूटी प्रॉक्टर आफिस के पास ही है। यह कहना गलत है कि आगजनी के समय मैं घटना स्थल के पास था। आगजनी रात्रि में हुई थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है। यह कहना भी गलत है कि पुसिल ने घटनास्थल पर मेरे सामने लिखा पढ़ी की हो। पुलिस ने मेरे दस्तखत सादा कागज पर लिये थे। न्यायालय के सम्मन पर आज मैं साक्ष्य देने आया हूॅ। यह कहना गलत है कि मैं आज झूॅठी गवाही दे रहा हूॅ।

इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया एवं पक्षद्रोही हो गया है। इस साक्षी के बयान से बाल अपचारी के विरूद्व कुछ भी साबित नहीं है।

12. उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में तथ्य के तीन साक्षियों का परीक्षण कराया गया है। वादी मुकदमा ने जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। सभी साक्षी पक्षद्रोही हो गये है। अभियोजन द्वारा इनसे जिरह की गयी है, किन्तु इनकी जिरह में ऐसा कुछ नहीं आया, जिससे कि अभियोजन कथानक को बल मिलता हो। जो साक्षी अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है, उसके द्वारा अभियोजन कथानक पुष्ट नहीं होता है। मात्र पुलिस प्रपत्रों की औपचारिकता सत्यता स्वीकार करने के आधार पर किसी को दोषसिद्व नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार अभियोजन बाल अपचारी के विरूद्व आरोपित अभियोग को साबित करने में असफल रहा है। बाल अपचारी दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

(A) बाल अपचारी... को दाण्डिक वाद संख्या 100/2016, राज्य बनाम बाल अपचारी, मुकदमा अपराध संख्या 208/2016, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 458, 436, 427, 336 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, थाना–सिविल लाईन, जिला– अलीगढ़ के प्रकरण में दोषमुक्त किया जाता है।

(B) बाल अपचारी जमानत पर है, उसके बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उसके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(C) बाल अपचारी के अभिभावक धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में अंकन पचास हजार रूपये की एक प्रतिभू व इतनी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र अन्दर सप्ताह दाखिल करना सुनिश्चित करें। बाल अपचारी के अभिभावक की ओर से धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत बंधपत्र व जमानत पत्र छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

(D) माल मुकदमाती, यदि कोई हो तो, अपील की अवधि के पश्चात् नियमानुसार विनिष्ट किया जावें।

(राजीव शुक्ल)
दिनांकः–10–12–2024 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो)
कोर्ट संख्या–01 अलीगढ़।
J.O. Code – UP 01655

यह निर्णय, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव शुक्ल)
दिनांकः–10–12–2024 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो)
कोर्ट संख्या–01 अलीगढ़।
J.O. Code – UP 01655

Digitally signed by Rajeeva Shukla
Date: 2024.12.13 11:17:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court